ऑन लाईन नं. RCMS 2022/299

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डॉ हरीतिमा, आर.ए.एस.

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 01/2022

राज्य सरकार जरिये सरोज बिश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

कैलाश चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड न.10 रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर।

फर्म :– पारीक टी स्टाल, मेल बस स्टेण्ड, रायसिंहनगर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित

:: निर्णय:: **दिनांक : 05.04.2023**

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार जरिये जरिये सरोज बिश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि दिनांक 07.11.2022 को श्रीमती सरोज बिश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर जांच हेतु पारीक टी स्टॉल, मेन बस स्टेण्ड रायसिंहनगर पहुंचे। मौके पर कैलाश चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न.10 रायसिंहनगर उपस्थित मिला तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया।

वरवक्त होटल की जांच करने पर होटल में मिठाई व चाय आदि बनाने का कार्य किया जा रहा था। मिठाई व चाय बनाने में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का प्रयोग किया जा रहा था। होटल पर अनुदानित घरेलू गैंस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर 04 अनुदानित घरेलू गैंस सिलेण्डर को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर यंगप्रकाश पुत्र भंवर लाल मालिक जोहिया एचपी गैस सर्विस रायसिंहनगर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी के खिलाफ संज्ञान लिया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

थानाधिकारी पुलिस थाना रायसिंहनगर से प्राप्त नोटिस रिपोर्ट अनुसार, पारिक टी स्टॉल, रायसिहनगर पहुंचकर नोटिस की तामील अप्रार्थी स्वयं द्वारा करवाई गई। अप्रार्थी स्वयं पर तामील होने के बावजूद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 07.11.2022 को श्रीमती सरोज बिश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर जांच हेतु पारीक टी स्टॉल, मेन बस स्टेण्ड रायसिंहनगर पहुंचे। मौके पर कैलाश चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न.10 रायसिंहनगर उपस्थित मिला तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। वरवक्त होटल की जांच करने पर होटल में मिठाई व चाय आदि बनाने का कार्य किया जा रहा था। मिठाई व चाय बनाने में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का प्रयोग किया जा रहा था। होटल पर अनुदानित घरेलू गैंस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर 04 अनुदानित घरेलू गैंस सिलेण्डर को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर यंगप्रकाश पुत्र भंवर लाल मालिक जोहिया एचपी गैस सर्विस रायसिंहनगर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है।

अप्रार्थी को बार–बार आवाज लगाई। अप्रार्थी अनुपस्थित।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 07.11.2022 को श्रीमती सरोज बिश्नोई, प्रवर्तन निरीक्षक, रायसिंहनगर जांच हेतु पारीक टी स्टॉल, मेन बस स्टेण्ड रायसिंहनगर पहुंचे। मौके पर कैलाश चन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद, जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड न.10 रायसिंहनगर उपस्थित मिला तथा स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। वरवक्त होटल की जांच करने पर होटल में मिठाई व चाय आदि बनाने का कार्य किया जा रहा था। मिठाई व चाय बनाने में घरेलू गैंस सिलेण्डरों का प्रयोग किया जा रहा था। होटल पर अनुदानित घरेलू गैंस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर 04 अनुदानित घरेलू गैंस सिलेण्डर को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर यंगप्रकाश पुत्र भंवर लाल मालिक जोहिया एचपी गैस सर्विस रायसिंहनगर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(बी)(सी) व 7(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की गई है।

फलस्वरूप, अप्रार्थी से जब्त शुदा 04 अनुदानित घरेलू गैंस सिलेण्डर को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)